FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत –उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

कालूराम पुत्र मंशाराम जाति गुर्जर वगै. बनाम राधादेवी पत्नि बालूराम जाति गुर्जर वगै.
सा. लाखनपुरा तह. नावां सा. लाखनपुरा तह. नावां

किस्म मुकदमां : 151 आरटीए

मुकदमा नम्बर 0190/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2024/421	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
31.05.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गुर्जर ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के हक में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण के जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि इस न्यायालय के अनुवान प्रकरण राधादेवी बनाम कालुराम वगैरह मुकदमा नम्बर 050/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.12.2023 की पालना को स्थगित किया जाता है। इस आशय की अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत डाक नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.07.2024 को पेश हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां	
8/7/24	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 28/8/24 को पेश हो ।	
28/8/24	पत्रावली पेश हुई । वकुलाय उप. पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बहार बधारे है पत्रावली दिनांक 28/10/24 को पेश हो ।	
28/10/24	पत्रावली [illegible] बार एसोशियेशन ने कन्डोलेन्स [illegible] स्थगन का निवेदन किया। [illegible] मुल्तवा होकर दिनाँक 17/12/24 को पेश हो।	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रा०पत्र O9 R13 CPC में पेश कर प्रकरण को पुनः विधिवत खारिज करवा लिया है। मूल प्रा०पत्र ही खारिज हो गया है तो अस्थाई प्रा०पत्र का औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रा०पत्र को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली समाप्त कर पेश हो।	

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)